

**झारखण्ड सरकार**  
**झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,**  
 कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010.  
**e-mail- jharkhand\_ssc@rediffmail.com**

**विज्ञापन संख्या- 11/2017**

**झारखण्ड राज्य क्षेत्रीय लिपिक (समाहरणालय सहित)  
 सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (मूल कोटि)-2017**

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-1406 (अनु0) दिनांक-16.02.2016, पत्रांक-3372 (अनु0) दिनांक-26.04.2016 तथा पत्रांक 11780 दिनांक 30.11.2017 द्वारा संसूचित क्रमशः योजना-सह-वित्त विभाग के तहत राज्य कोषागारों में निम्नवर्गीय लिपिक, विभिन्न समाहरणालय सम्वर्ग के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला कार्यालय के अधीन निम्नवर्गीय लिपिक की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति निमित्त सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु झारखण्ड राज्य के समूह-‘घ’ के कर्मियों से विहित प्रपत्र में झारखण्ड राज्य क्षेत्रीय लिपिक (समाहरणालय सहित) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (मूल कोटि)-2017 के लिये ऑन-लाईन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार निर्धारित अर्हता तथा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदन दे सकते हैं। ऑन-लाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट- [www.jssc.in](http://www.jssc.in) अथवा [www.jssc.nic.in](http://www.jssc.nic.in) पर लॉगईन करके दिनांक 05.03.2018 से 04.04.2018 तक समर्पित किया जा सकता है। तदुपरान्त लिंक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए क्रमशः 09.04.2018 एवं 13.04.2018 तक उपलब्ध रहेगा।

2. रिक्तियों का विवरण :

(i) निम्नवर्गीय लिपिक (विभिन्न समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत)

<b>पदों की संख्या</b>											
क्र. सं.	जिला	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
		अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-11)	अ.पि.व. (अनुसूची-1)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	राँची	03	01	01	00	00	05	00	00	00	00
2.	गुमला	01	00	01	00	00	02	00	00	00	00
3.	सिमडेगा	03	01	01	00	00	05	00	00	00	00
4.	लोहरदगा	04	01	02	00	00	07	00	00	00	00
5.	रामगढ़	02	01	01	00	00	04	00	00	00	00
6.	बोकारो	04	01	01	01	00	07	00	00	00	00
7.	धनबाद	08	02	01	01	02	14	00	00	00	00
8.	हजारीबाग	05	01	01	01	01	09	00	00	00	00
9.	चतरा	03	01	01	00	00	05	00	00	00	00
10.	गिरीडीह	09	02	01	01	02	15	00	00	00	00
11.	पलामू	12	04	01	00	02	19	00	00	00	00

**पदों की संख्या**

क्र. सं.	जिला	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
		अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ.पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
12.	लातेहार	06	02	00	00	00	08	00	00	00	00
13.	गढ़वा	06	01	02	00	01	10	00	00	00	00
14.	देवघर	01	00	00	00	00	01	00	00	00	00
15.	जामताड़ा	01	00	00	00	00	01	00	00	00	00
16.	गोड़डा	01	00	01	00	00	02	00	00	00	00
17.	साहेबगंज	01	00	00	00	00	01	00	00	00	00
18.	पश्चिमी सिंहभूम	13	01	05	00	00	19	00	00	00	00
19.	सरायकेला-खरसावाँ	03	01	01	00	00	05	00	00	00	00
20.	पूर्वी सिंहभूम	04	01	00	01	02	08	00	00	00	00
21.	खूँटी	अप्राप्त									
22.	कोडरमा										
23.	दुमका										
24.	पाकुड़										
<b>कुल योग</b>		<b>90</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>05</b>	<b>10</b>	<b>147</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

**(ii) निम्न वर्गीय लिपिक (कोषागार लिपिकीय संवर्ग- राज्यस्तरीय संवर्ग)**

**पदों की संख्या**

क्र. सं.	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ0 पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	17	03	08	02	03	33	02	00	00	01

**क) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला कार्यालय के अधीन निम्नवर्गीय लिपिक**

क्र. सं.	जिला/ कार्यालय	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
		अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ.पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	सिविल सर्जन कार्यालय, जमशेदपुर	08	00	06	00	02	16	00	00	00	00
2.	सिविल सर्जन कार्यालय, लातेहार	05	02	06	00	00	13	00	00	00	00
3.	सिविल सर्जन कार्यालय, लोहरदगा	02	00	01	00	00	03	00	00	00	00
4.	सिविल सर्जन कार्यालय, गढ़वा	13	04	04	00	00	21	00	00	00	00
5.	सिविल सर्जन कार्यालय, कोडरमा	01	00	00	00	00	01	00	00	00	00
6.	पी.एम.सी.एच. धनबाद	00	00	00	01	00	01	00	00	00	00
7.	सदर अस्पताल, धनबाद	02	00	00	00	00	02	00	00	00	00

क्र. सं.	जिला/कार्यालय	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
		अना-रक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.व. (अनु.-II)	अ.पि.व. (अनुसूची-I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
8.	सिविल सर्जन कार्यालय, चाईबासा	10	01	07	00	00	18	00	00	00	00
9.	सिविल सर्जन कार्यालय, हजारीबाग	04	02	00	01	01	08	00	00	00	00
10.	इटकी आरोग्यशाला, इटकी, राँची	01	00	01	00	00	02	00	00	00	00
कुल योग		46	09	25	02	03	85	00	00	00	00

### टिप्पणी:

- क) उपर्युक्त संसूचित रिक्तियाँ घट बढ़ सकती हैं।
- ख) अनुसूचित जन जाति के लिए विज्ञापित पदों की संख्या में 2 (दो) प्रतिशत पद आदिम जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा। आदिम जन जाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त पद अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। आदिम जनजाति के आरक्षित पद के विरुद्ध दावा करने वाले अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र की संख्या एवं तिथि आवेदन पत्र में प्रविष्ट करनी होगी।

### 3. पदों के लिए विकल्प:-

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से समूह 'ग' के पद (निम्नवर्गीय लिपिक) पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की पात्रता उसी विभाग/जिला के लिए होगी, जहाँ वह समूह-घ के पद पर पदस्थापित है। अर्थात् किसी जिला के समाहरणालय में समूह 'घ' के पद पर कार्यरत व्यक्ति की पात्रता उस जिला के समाहरणालय की रिक्ति तक सीमित होगी। इसी तरह किसी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'घ' में कार्यरत कर्मियों की पात्रता उस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों की रिक्ति तक सीमित रहेगी। अतः इससे भिन्न कोई अन्य विकल्प दर्ज करने की सुविधा ऑन लाईन आवेदन पत्र में नहीं होगी।

### 4.1 कंडिका-2 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:-

पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कौशल एवं अन्य परीक्षण
2	3	4	5
निम्नवर्गीय लिपिक (विभिन्न समाहरणालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के संवर्ग के अंतर्गत)	5200-20200 (PB-I) ग्रेड वेतन- 1900 (अपुनरीक्षित)	इंटरमीडिएट / (10+2) उत्तीर्ण	हिन्दी टंकण (Kruti Deo 010) में 25 (पच्चीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 (दो सौ पचास) शब्दों को दस मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% (दो प्रतिशत) से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिये जायेंगे।

- 4.2 शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे अयोग्य समझे जायेंगे।
5. आयु सीमा:- चूँकि विज्ञापित रिक्तियाँ सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जानी है अतएव इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की कोई अधिकतम उम्र सीमा विहित नहीं है।
6. आरक्षण :
- (I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि कर्मी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।
- (II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगी। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को छोड़कर अन्य सभी कर्मी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे।
- (III) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा **प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के** अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:-
- (i) जाति प्रमाण पत्र- जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित-प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए **परिशिष्ट-I पर अंकित प्रपत्र** तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए **परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र**} में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
- (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए दिनांक 31.03.2016 के पश्चात् विहित-प्रपत्र (**परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र**) में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- (iii) महिलाओं के आरक्षित पदों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-III पर अंकित प्रपत्र) में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा एवं अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र की संख्या तथा तिथि आवेदन में अंकित करना होगा तथा इस प्रमाण पत्र को प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) दिव्यांग कोटि (दृष्टिदोष/मूक वधिर/चलन निःशक्तता, स्रेब्रल पाल्सी) के तहत क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या एवं उसके निर्गम की तिथि ऑन लाईन आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी तथा प्रमाण पत्रों के जाँच के समय उक्त प्रमाण पत्र जाँच हेतु आयोग को उपलब्ध कराना होगा। दिव्यांग कोटि के अधीन क्षैतिज आरक्षण का लाभ झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को ही देय है।

- (v) सभी वांछित प्रमाण पत्रों की संख्या एवं निर्गत तिथि आवेदन में अंकित करना अनिवार्य है।

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है। आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करे तथा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र में यथा स्थान अपने जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गत तिथि दर्ज करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।

**नोट:-** सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट-I, परिशिष्ट-II एवं परिशिष्ट-III पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- (IV) स्क्राईब हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र परिशिष्ट-V पर उपलब्ध है।

7. **स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र :-** झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी महिला तथा दिव्यांग आवेदकों द्वारा अपने दावे के समर्थन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं०-4650, दिनांक 02.06.2016 द्वारा विहित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 अथवा इसके उपरान्त जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की प्रविष्टि आवेदन पत्र में संबंधित आवेदकों द्वारा की जायेगी। प्रमाण पत्र का मानक प्रारूप परिशिष्ट - III के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

8. **परीक्षा का स्वरूप :** परीक्षा का स्वरूप विवरणिका में अंकित है।

9. **परीक्षा शुल्क :**

परीक्षा शुल्क रु. 800/- (रुपये आठ सौ) है।

**परीक्षा शुल्क में छूट:-** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु. 200/- (रुपये दो सौ) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अपेक्षित राशि का भुगतान भी करना होगा।

10. **आवेदन पत्र को भरना एवं उसे समर्पित करना :-**

- 10.1 अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट [www.jssc.in](http://www.jssc.in) अथवा [www.jssc.nic.in](http://www.jssc.nic.in) पर जाएँ एवं Online Application for **FCLCE-2017** पर Click करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉग-इन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। आवेदन पत्र का लिंक दिनांक 05.03.2018 से 04.04.2018 तक समर्पित किया जा सकता है।

- 10.2 अभ्यर्थी प्रथमतः अपना प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन के साथ प्रारंभिक विवरण भरेंगे। तद्हेतु लिंक दिनांक 04.04.2018 की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। इस तिथि के बाद अभ्यर्थी अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान का विवरण दर्ज करते हुए अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान 09.07.2018 के मध्य रात्रि तक किया जा सकता है तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 13.04.2018 होगी। **आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।**
- 10.3 परीक्षा शुल्क भुगतान करने तथा भरे गये आवेदन के विरुद्ध **Re-login** कर भुगतान का विवरण ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज करने के लिए तथा अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र समर्पित करने के लिए लिंक दिनांक **13.04.2018** की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। आवेदन पत्र को **Submit** करने के बाद भरे गये आवेदन पत्र का प्रिंट लिया जा सकता है। इस स्तर पर ही आवेदन की प्रक्रिया सम्पूर्ण होती है।
11. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन भरने के पूर्व आयोग के वेबसाईट [www.jssc.in](http://www.jssc.in) एवं [www.jssc.nic.in](http://www.jssc.nic.in) पर उपलब्ध इस परीक्षा की विवरणिका को अवश्य देख लें।

ह0/—  
परीक्षा नियंत्रक।